प्रेस नोट

जनपद संकबीरनगर

दिनाँक 08.03.2026

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनपद में अपराधियों और वारण्टियों की धरपकड़ के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत दबिश के दौरान 15 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनपद में अपराधियों और वारण्टियों की धरपकड़ के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत पिछले दो दिनों में जनपद के थानों की पुलिस टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश दिया। इस कार्यवाही के दौरान कुल 15 वारण्टियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा वारण्ट जारी किए गए थे। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 02 वारण्टी नाम पता 01. भीम पुत्र दयाराम निवासी रामपुर दक्षिणी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर, 02 लक्ष्मी पत्नी मस्तराम निवासी गोविन्द्रगंज थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री नन्दू गौतम, उ0नि0 श्री दिलीप सिंह ,हे0क0 सोनू पटेल, हे0का0 बदरे आलम, का0 हरेन्द्र यादव, का0 रवि चौरसिया, म0का0 दामिनी सिंह।

थाना महुली पुलिस द्वारा 12 वारण्टी नाम पता 01.रमेन्द्रचन्द्र प्रसाद पुत्र रामतीरथ निवासी जगदीशपुर गौरा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 02.निर्भय कुमार पाण्डेय पुत्र सन्नी पाण्डेय निवासी तरयापार थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 03.रामनरेश पुत्र भागीरथी 04. अजीत पुत्र जगलाल 05. आरती पत्नी जगलाल 06. ज्योति पुत्री जगलाल 07. कुशलावती पत्नी जगलाल निवासीगण मझगावा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 08. सिनील यादव पुत्र ओमप्रकाश 9. राजू यादव पुत्र राधेश्याम 10. शत्रुधन यादव पुत्र राधेश्याम 11. मेंवा लाल पुत्र हीरा लाल निवासीगण सकरैचा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 12.बिजली पुत्र अशर्फी निवासी पानाराम थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- थानाध्यक्ष महुली श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय, उ0नि0 श्री अशोक कुमार दूबे, उ0नि0 श्री अजय कुमार भारती, उ0नि0 श्री अजीत प्रताप सिंह, उ0नि0 श्री ललितकांत यादव, हे0 का0 पंकज यादव, का0 रितेश यादव, का0 अरविन्द्र यादव।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता 01. राजेन्द्र निषाद पुत्र विश्वनाथ निवासी पड़रिया थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 00 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 00 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 00 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 230 वाहनों से 2,80,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 08.03.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 230 वाहनों से 2,80,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित 01 अभियुक्त व 02 बाल अपचारियों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्वदवन सिंह* के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 08.03.2026 को थाना बखिरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 74/2026 धारा 70(2)/352/351(3) बीएनएस व 5(g)/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त नाम पता अभिषेक पुत्र संतोष निवासी भैसमथान थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर व 02 बाल अपचारियों को ग्राम भैसमथान में अम्बेडकर मूर्ति के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 07.03.2026 को थाना बखिरा पर उक्त अभियुक्त व बाल अपचारियों के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त व 02 बाल अपचारियों को आज दिनांक 08.03.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक थाना महुली श्री सतीश कुमार सिंह, व0उ0नि0 श्री राजेश कुमार, कां0 अमित यादव, कां0 संजीव यादव, म0का0 सुनीता गौड़।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को 06 माह के लिए जनपदीय सीमा से किया गया बाहर

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक *श्री सुशील कुमार सिंह* के पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्वदवन सिंह* के मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष धर्मसिहंवा *श्री अमित कुमार* के नेतृत्व में थाना धर्मसिहंवा पुलिस द्वारा आज दिनांक 08.03.2026 को श्रीमान अपर जिलाधिकारी संतकबीर न्यायालय द्वारा अभियुक्त ब्रह्मानंद पाण्डेय पुत्र रामराज पांडे निवासी बौरव्यास थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को 06 माह के लिए जनपद संतकबीरनगर की सीमाओं के बाहर निष्कासित करने के आदेश के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के आदेश से सूचित कराते हुए पुलिस बल के साथ जिलाबदर किया गया । अग्रिम 06 माह तक उपरोक्त अभियुक्त जनपद संतकबीरनगर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा ।

अभियुक्त का विवरण-

ब्रह्मानंद पाण्डेय पुत्र रामराज पांडे निवासी बौरव्यास थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0सं070/2021 धारा 354(ख),452,323,504,506 भा0द0वि0 थाना धर्मसिहंवा जनपद संतकबीरनगर ।

02.मु0अ0सं0 28/2025 धारा 115(2),352,351(3),117(2) बीएनएस थाना धर्मसिहंवा जनपद संतकबीरनगर ।

03.मु0अ0सं0 29/2025 धारा 115(2),352,351(3),74 बीएनएस थाना धर्मसिहंवा जनपद संतकबीरनगर ।

पुलिस टीम का विवरण-

थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा श्री अमित कुमार, चौकी प्रभारी ब्यौरव्यास उ0नि0 श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, उ0नि0 श्री शिव कुमार यादव, हे0का0 सुरेन्द्र सचान, का0 अरुण कुमार, का0 दीपक खरवार ।

थाना मेंहदावल द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी के 01 अदद मन्दिर के घण्टे के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्वदवन सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण हेतु थानाध्यक्ष मेंहदावल *श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 80/2026 धारा 305(घ),317 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त हरिकेश पुत्र दुर्गविजय निवासी बड़हरी कन्हई बड़हरा थाना पुरन्दरपुर जनपद महराजगंज हाल पता ग्राम पाखापार थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को मन्दिर से चोरी के 01 अदद घण्टे के साथ जमुअरिया खण्डंजा मार्ग के पास से गिरफ्तार किया गया ।
घटना का विवरण- दिनाँक 07.03.2026 को वादी श्री दीपक निषाद पुत्र रामप्रीत निषाद निवासी बीमापार वार्ड नं0 05 थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल पर उनके द्वारा विसौवा रोड घलनिया पुल एवं मनोरथपुर ग्राम के बीच निरहु बाबा मन्दिर पर उनके द्वारा अपने जन्मदिन पर लगवाए गए 21 किग्रा के घण्टे को दिनांक 06.03.2026 की रात्रि में चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था । प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 80/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

हरिकेश पुत्र दुर्गविजय निवासी बड़हरी कन्हई बड़हरा थाना पुरन्दरपुर जनपद महराजगंज हाल पता ग्राम पाखापार थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर ।

बरामदगी का विवरण – 01 अदद चोरी का घण्टा ।

गिरफ्तारी टीम- उ0नि0 श्री एखलाक खान, का0 अमेरिका प्रसाद, का0 लालजी ।

थाना धर्मसिहंवा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए महिला से दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्वदवन सिंह* के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना धर्मसिहंवा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 08.03.2026 को थाना धर्मसिहंवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 23/2026 धारा 333/351(3)/64(1) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त नाम पता लालमन प्रसाद पुत्र बिरऊ ग्राम व पोस्ट गौराटीकरी थाना करौंदीकला तहसील कादीपुर जनपद सुल्तानपुर को खजुरी नहर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 07.03.2026 को थाना धर्मसिहंवा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की अपनी पतोहू के साथ दुष्कर्म करने के मामले में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना धर्मसिहवा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 08.03.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- थानाध्यक्ष धर्मसिहंवा श्री अमित कुमार कुशवाहा, उ0नि0 श्री ध्रुवनारायण यादव , कां0 दीपक खरवार, म0आ0 पूनम गौड़।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट के मामले में वांछित 25,000 रु0 के इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री जयप्रकाश दूबे* के नेतृत्व मे आज दिनाँक 08.03.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 1010/2025 धारा 2(b)(i)/ 2(b)(6)/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित 25,000 रु0 के ईनामियां वांछित अभियुक्त पंकज चौरसिया पुत्र दिनेश उर्फ दिलेज निवासी गड़सरपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को कोड़री सड़क पुलिया के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- विदित हो कि दिनाँक 31.10.2025 को अभियुक्त के अपराधिक इतिहास के दृष्टिगत थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 1010/2025 धारा 2(b)(i)/ 2(b)(6)/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त के विरुद्ध 25,000 रु0 का ईनाम घोषित था।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-
पंकज चौरसिया पुत्र दिनेश उर्फ दिलेज निवासी गड़सरपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
अपराधिक इतिहास अभियुक्त-
01.मु0अ0सं0 822/2021 धारा 279/304ए/337/338 भा0द0वि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
02.मु0अ0सं0 563/2025 धारा 305(बी),317(2) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
03. मु0अ0सं0 574/2025 धारा 305(बी),317(2) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
04. मु0अ0सं0 575/2025 धारा 305(बी),317(2) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
05. मु0अ0सं0 1010/2025 धारा 2(b)(i)/ 2(b)(6)/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री जयप्रकाश दूबे, उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, का0 अरुण कुमार व एसओजी टीम।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मारपीट, दंगा व हत्या का प्रयास करने के मामले में वाँछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 144/2026 धारा 191(2),190,191(3),109(1),351(3),115(2), 352, 127(2),324(4) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्तगण नाम पता 01. कृष्णचन्द पाण्डेय पुत्र संजय पाण्डेय निवासी घटरम्हा थाना कोतवाली खलीलाबाद हालमुकाम रौरापार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर, 02.आलोक राय पुत्र दिनेश राय निवासी एकमा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को मोहम्मदपुर कठार के पास से घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस, 03 अदद बांस के डण्डे, 01 अदद लोहे की राड, 01 अदद क्रेटा कार (रजि0नं0 यू0पी0 58 ए0सी0 9755) व 02 अदद मोबाइल फोन के साथ नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-
01. कृष्णचन्द पाण्डेय पुत्र संजय पाण्डेय निवासी घटरम्हा थाना कोतवाली खलीलाबाद हालमुकाम रौरापार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
02.आलोक राय पुत्र दिनेश राय निवासी एकमा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

विदित हो कि वादी श्री उमाशंकर यादव पुत्र हरिश्चन्द्र यादव निवासी शिकटा बरगाह पोस्ट मुण्डेरवा जनपद बस्ती हालपता घटरम्हा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनाँक 06.03.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उक्त अभियुक्तगण द्वारा दिनाँक 02.03.2026 को वादी के रौरापार चौराहे पर स्थित मेडिकल दुकान बन्दकर वापस आते समय मारपीट व जान से मारने की नियत से गोली फायर की गयी थी, जिसके संबंध में थाना स्थानीय कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त मुकदमा से संबंधित वांछित अभियुक्तगण को आज दिनाँक 08.03.2026 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री राकेश कुमार सिंह, उ0नि0 श्री हरिकेश बहादुर सिंह, उ0नि0 श्री अशोक कुमार दूबे, उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, उ0नि0 श्री धर्मनाथ यादव, का0 अनिल कुमार, का0 कृष्णनारायण गौड़, का0 प्रदीप पटेल।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* मु0अ0स0 134/2026 धारा 137(2),87,61(2) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता सरवर आलम उर्फ मिण्टू पुत्र जफर आलम निवासी पड़ोखर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को तामेश्वरनाथ पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 04.03.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादी की पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 08.03.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रामअवध, हे0का0 सुशील कुमार यादव, का0 भूपेन्द्र सिंह, म0का0 प्रियंका कन्नौजिया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए थानाक्षेत्र से गुमशुदा 02 बच्चों को खोजकर परिजनों के किया गया सुपुर्द

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गुमशुदा हुए 02 बच्चों को खोज कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

प्रथम घटना - दिनांक 08.03.2026 को समय 21.30 बजे नौशाद अली पुत्र अकबर हुसैन निवासी अंजान शहीद थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा सूचना दिया गया कि उनका पुत्र जिसाद अहमद उम्र करीब 4 वर्ष सायं काल 18.30 बजे घर से बिना बताए कहीं चला गया है इस सूचना पर तत्काल चौकी मगहर पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए बच्चे की तलाश के क्रम में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा गया। जिसके उपरान्त उक्त बच्चे को दिनांक 08/09.03.2026 की रात्रि करीब 4:00 बजे थाना क्षेत्र सहजनवा के ग्राम भरपही से सकुशल बरामद किया गया। गुमशुदा बच्चे जिसाद अहमद को उसके माता-पिता को नियमानुसार सुपुर्द किया गया। पुलिस की तत्परता के कारण बच्चे की सकुशल बरामदगी की भूरी भूरी प्रशंसा कस्बा मगहर के लोगों द्वारा किया जा रहा है।

बरामदगी टीम- प्रभारी चौकी मगहर श्री विनोद कुमार यादव, का0 रमेश यादव।

द्वितीय घटना- दिनांक 07.03.2026 को समय 17.30 बजे वादिनी अंजली पत्नी जयप्रकाश राय निवासी दसहरा (रसहरा) थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर हाल मुकाम गायत्री पुरम, गोरखल थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा सूचना दिया गया कि उनका लड़का पुष्कर उम्र करीब 12 वर्ष घर से बिना किसी को कुछ बताए कही चला गया है। उक्त सूचना पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही थी। खोजबीन के क्रम में गुमशुदा बालक को आज दिनांक 09.03.2026 को समय 9.00 बजे रेलवे स्टेशन खलीलाबाद से बरामद किया गया। गुमशुदा बच्चे को उसकी माता(वादिनी) को नियमानुसार सुपुर्द किया गया। पुलिस की तत्परता के कारण बच्चे की सकुशल बरामदगी की भूरी भूरी प्रशंसा शहर खलीलाबाद के लोगों द्वारा किया जा रहा है।

बरामदगी टीम- उ0नि0 श्री धर्मनाथ यादव, उ0नि0 श्री अशोक दूबे, का0 आकाश यादव, का0 धर्मेन्द्र यादव।